मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(प्रशासकीय सतर्कता प्रकोष्ठ)

क्रमांक एफ.-20(6)प्रसको/85/एक, भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 1985

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
मध्यप्रदेश.

विषय.—विभागीय जांच/विभागीय कार्यवाहियों में लोकायुक्त कार्यालय के अधिकारियों को गवाह के रूप में बुलाने के संबंध में.

मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1981 की धारा 14(1) के अंतर्गत विभागीय जांच/विभागीय कार्यवाहियों को गुप्त रखने के अधिकार लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त, मध्यप्रदेश को प्रदत्त है. शासन के ध्यान में यह बात आई है कि विभिन्न विभागों द्वारा लोकायुक्त संगठन के अधिकारियों को उनके विभाग से संबंधित प्रकरणों की जांच के लिये गवाही देने के लिये बुलाया जाता है. साधारणतया तकनीकी कोष्ठ (Technical cell) अथवा (E. R. Section) द्वारा की गई जांच प्रकरणों में लोकायुक्त संगठन के संबंधित अधिकारियों को गवाही देने के लिये बुलाया जाता है. लोकायुक्त कार्यालय के अधिकारियों द्वारा विभागीय जांच प्रकरणों में एवं विभागीय कार्यवाही प्रकरणों में कार्यवाही की जाती है तथा उससे संबंधित सभी अभिलेख प्रतिवेदन के लिये संबंधित विभाग को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने एवं निर्णय लेने के लिये अग्रेषित किये जाते हैं. अत: ऐसी स्थिति में संबंधित विभागों द्वारा लोकायुक्त संगठन के अधिकारियों को गवाही के लिये बुलाने का कोई औचित्य नहीं है. इससे मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1981 की धारा 14(1) का उल्लंघन होता है. लोकायुक्त कार्यालय के विभागीय जांच प्रतिवेदन के किसी बिन्दु पर संबंधित विभाग के जांच अधिकारी/प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को कोई कठिनाई महसूस होती है, तो ऐसे प्रकरण में संबंधित अधिकारी लोक आयुक्त कार्यालय स्वयं आकर अथवा पत्र व्यवहार द्वारा उसका निराकरण करा सकते हैं.

अतएव निवेदन है कि भविष्य में लोकायुक्त संगठन के किसी भी अधिकारी को संबंधित विभाग द्वारा गवाही के लिये बुलाने की परिपाटी नहीं अपनाई जाये.

सही/-
(पी. एस. मेहता),
विशेष सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.